न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–2, सोनभद्र

सत्र परीक्षण संख्या–169 / 2012

राज्य **बनाम** राजेन्द्र वियार व अन्य

मु0अ0सं0–430 / 2012,

धारा–147,452,308,323,325,504,506 भा0दं0सं0

थाना–राबर्ट्सगंज, जिला सोनभद्र।

–:आदेशः–

23.10.2019

अभियुक्तगण **अर्जुन, गोविन्द तथा अनिल** पुत्रगण स्व0 प्यारे लाल की ओर से उपरोक्त प्रकरण में उनके विरूद्ध निर्गत गैर जमानती वारण्ट रिकाल किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि मुकदमें में दिनांक 30.08.2019 को तारीख नियत थी, उक्त तिथि पर प्रार्थीगण रोजी रोटी के सिलसिले में कमाने के लिए बाहर चले गये थे जिस कारण नियत दिनांक को न्यायालय उपस्थित नहीं हो सके थे तथा उनके विरूद्ध गैर जमानती वारण्ट जारी हो गया है। प्रार्थीगण न्यायालय में हमेशा उपस्थित रहेंगे।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में अभियुक्त अर्जुन का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि इस मामले में नियत दिनांक 16.05.2019 तथा 29.07.2019 को न्यायालय रिक्त रहा है तथा अभियुक्तगण जरिए अधिवक्ता उपस्थित थे, उसके उपरान्त दिनांक 30.08.2019 को अभियुक्तगण अनुपस्थित हो गये जिस कारण उनके विरूद्ध गैर जमानती वारण्ट जारी किए जाने का आदेश पारित किया गया था। उक्त तिथि पर अभियोजन की ओर से कोई साक्षी भी उपस्थित नहीं था। दिनांक 30.08.2019 के उपरान्त दिनांक 24.09.2019 को भी अभियुक्तगण अनुपस्थित थे। अभियुक्तगण के विरूद्ध पिछली दो तारीख पेशियों से गैर जमानती वारण्ट जारी किए जाने का आदेश पारित किया जाता रहा है। अभियुक्तगण द्वारा अपनी अनुपस्थिति का कारण रोजगार के सिलसिले में बाहर चला जाना बताया गया है। अभियुक्तगण पूर्व में जमानत पर थे तथा उनके जमानतनामें निरस्त नहीं किये गये हैं।

अतः अभियुक्तगण को सुधार हेतु एक अवसर प्रदान करते हुए अभियुक्तगण के पूर्व प्रतिभूओं को यथावत रखते हुए प्रत्येक अभियुक्त द्वारा **चालीस हजार रूपये** का व्यक्तिगत बन्ध पत्र तथा इस आशय की **अण्डरटेकिंग** कि वह दौरान विचारण प्रत्येक नियत तिथि पर न्यायालय उपस्थित आयेंगे, दाखिल करने पर उनके विरूद्ध निर्गत गैर जमानतीय वारण्ट निरस्त किया जाता है।

अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–2, सोनभद्र